राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141– 2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः एफ–3(ख)/आर– 16 आर/2011/अलेसे–II / 36 दिनांक– 12-4-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री रवि कुमार खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, भरतपुर से बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर) समेकित बाल विकास सेवायें, भरतपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री खण्डेलवाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री रवि कुमार खण्डेलवाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 12.04.18 मध्यान्ह पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते है कि श्री खण्डेलवाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141–2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रवि कुमार खण्डेलवाल को निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः एफ–3(ख)/आर– 16 आर/2011/अलेसे–II / 36 दिनांक– 12.4.18

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, भरतपुर।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर) समेकित बाल विकास सेवायें, भरतपुर।
3. श्री रवि कुमार खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, भरतपुर।
4. कम्प्यूटर शाखा को प्रकाशनार्थ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)